14

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 83/2021
ओमप्रकाश पुत्र श्री मक्खनलाल, जाति अहीर, निवासी शिमला, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।
– –
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 14.06.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 25.05.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 83/2021 पर दिनांक 25.05.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1651–52 दिनांक 25.05.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20/1323 दिनांक 07.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ओमप्रकाश पुत्र श्री मक्खनलाल, निवासी शिमला, तहसील खेतडी का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 20.04.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/136 दिनांक 27.04.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी खेतडी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया। प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे सहायक लोक सूचना अधिकारी खेतडी ने अपने पत्र क्रमांक 292–293 दिनांक 05.05.2021 के द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि प्रार्थी को द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
8. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। प्रार्थी ने निवेदन किया कि उसके द्वारा चाही गई सूचना नियमानुसार है एवं प्रश्नात्मक नही है। (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20/1323 दिनांक 07.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ओमप्रकाश

पुत्र श्री मक्खनलाल, निवासी शिमला, तहसील खेतडी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 20.04.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/136 दिनांक 27.04.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी खेतडी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया। प्रार्थी के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे सहायक लोक सूचना अधिकारी खेतडी ने अपने पत्र क्रमांक 292—293 दिनांक 05.05.2021 के द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि प्रार्थी को द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। चूंकि पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हुआ है कि लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने तो नियमानुसार प्राथर्थी का आवेदन पत्र सूचना उपलब्ध करवाने हेतु नियमानुसार अन्तरित किया गया है परन्तु तहसीलदार खेतडी का यह कथन गलत है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खेतडी को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

5. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुं